



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 593/2025

अनूप कुमार पांडे और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : लाल चंद्र मिश्रा

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक कुशवाहा, जी.ए., प्रदीप कुमार, प्रशांत कुमार

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. सूची पुनरावृत्त की गई। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल चंद्र मिश्रा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया। नोटिस तामील होने के बावजूद, प्रतिपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के तहत यह आपराधिक अपील, इलाहाबाद के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) द्वारा शिकायत वाद संख्या 101/2020 (कंप्यूटरीकृत संख्या 41/2020), *सत्य नारायण बनाम अनूप कुमार पांडे और अन्य*, के मामले में धारा 323, 504, 506, 427 भा.द.सं. और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत, थाना कौंधियारा, जिला प्रयागराज में दिनांक 07.01.2023 को पारित समन आदेश को अपास्त करने के लिए दायर की गई है।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित शिकायत पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद से उत्पन्न सिविल और आपराधिक कार्यवाही का प्रतिवाद है। यह निवेदन किया गया है कि मूल काश्तकार, श्रीमती शांति देवी ने दिनांक 01.11.2019 को अपीलकर्ता संख्या 1 और उसकी माता के पक्ष में विवादित संपत्ति के संबंध में एक पंजीकृत विक्रय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझौता निष्पादित किया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता सत्यनारायण की पत्नी श्रीमती प्रभावती ने श्रीमती शांति देवी का रूप धारण करके और जाली पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके दिनांक 21.01.2020 को धोखाधड़ी से एक विक्रय विलेख निष्पादित किया। उक्त लेन-देन की जानकारी प्राप्त होने पर, श्रीमती शांति देवी ने शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी श्रीमती प्रभावती और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 120-बी, 419, 420, 467, 468, 471 और 506 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत मामला संख्या 311/2020 दर्ज कराया। यह भी निवेदन किया जाता है कि उक्त विक्रय विलेख को रद्द करने की मांग वाला एक सिविल मुकदमा भी पक्षों के बीच लंबित है

4. आगे यह निवेदन किया गया है कि शिकायत में लगाए गए आरोप स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय हैं। शिकायत के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 2 ने 18.08.2020 को शिकायतकर्ता पर अपनी लाइसेंसी बंदूक के बट से हमला किया था। हालांकि, रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी सामग्री से पता चलता है कि उक्त आग्नेयास्त्र 03.04.2014 से श्री राम गन हाउस में जमा था और कथित घटना की तारीख को भी उक्त गन हाउस की अभिरक्षा में था। अतः यह तर्क दिया जाता है कि आग्नेयास्त्र के उपयोग के संबंध में आरोप स्पष्ट रूप से झूठा है।

5. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि शिकायत और धारा 200 और 202 दंड प्रक्रिया के तहत दर्ज बयान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को प्रकट नहीं करते हैं। कथित जाति-संबंधी अपशब्दों का सार्वजनिक रूप से बोले जाने का उल्लेख नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 202 द.प्र.सं. के तहत जांचे गए गवाह सुरेश कुशवाहा, घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं और उन्होंने केवल यह बयान दिया है कि घटना स्थल पर पहुंचने के बाद शिकायतकर्ता ने उन्हें बताया कि अपीलकर्ताओं ने उन पर हमला किया था। इसलिए उनका बयान सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने अपील का विरोध करते हुए कहा है कि समन जारी करने के चरण में न्यायालय को केवल यह जांच करनी होती है कि क्या शिकायत और धारा 200 और 202 द.प्र.सं. के तहत दर्ज बयानों से प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता और गवाहों दोनों ने आरोपों का समर्थन किया है और इसलिए विद्वान विशेष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को सही ढंग से समन जारी किया है। यह भी कहा गया है कि समन जारी करने के चरण में अपीलकर्ताओं के बचाव की आमतौर पर विस्तार से जांच नहीं की जा सकती है।

7. मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

8. शिकायत में संबंधित भूमि के स्वामित्व और कब्जे को लेकर पहले से मौजूद विवाद का खुलासा होता है। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि आक्षेपित समन आदेश जारी होने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच उसी संपत्ति से संबंधित सिविल और आपराधिक कार्यवाही लंबित थी। इस पृष्ठभूमि का होना इस बात की जाँच करते समय महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या आपराधिक प्रक्रिया का प्रयोग किसी वास्तविक आपराधिक अपराध के निवारण के लिए किया गया है या संपत्ति विवाद में एक साधन के रूप में।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत दर्ज पी.डब्ल्यू.-2 सुरेश कुशवाहा के बयान से पता चलता है कि उन्होंने कथित हमले को नहीं देखा था। उनके बयान से पता चलता है कि वे बाद में घटनास्थल पर पहुँचे, शिकायतकर्ता और उसके बेटे को नहर के पास लेटे हुए पाया और पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि अपीलकर्ताओं ने उन पर हमला किया था। इस प्रकार, जहाँ तक वास्तविक घटना का संबंध है, पी.डब्ल्यू.-2 की गवाही स्पष्ट रूप से सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है

10.. जहाँ तक अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा लाइसेंसी दो-बैरल बंदूक के बट से हमले के आरोप का सवाल है, अपीलकर्ताओं ने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि उक्त हथियार कथित घटना की तारीख से काफी पहले श्री राम गन हाउस में जमा कराया गया था और तब से वहीं मौजूद है। शिकायत में विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने लाइसेंसी हथियार के बट से शिकायतकर्ता पर हमला किया। हथियार जमा कराने से संबंधित दस्तावेजी सबूतों को देखते हुए, उपरोक्त आरोप स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय प्रतीत होता है और अभियोजन पक्ष के बयान की सत्यता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

11. जहाँ तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का सवाल है, शिकायत और धारा 200 और 202 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज बयानों से यह संकेत नहीं मिलता है कि कथित जाति-संबंधी गालियां सार्वजनिक रूप से दी गई थीं, जो उस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समय अपराध का एक आवश्यक तत्व था। वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना, केवल जाति-संबंधी शब्दों का प्रयोग करना अपराध नहीं कहलाता। "सार्वजनिक दृष्टि के अंतर्गत कोई भी स्थान" अभिव्यक्ति की व्याख्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य, (2020) 10 एससीसी 710** में की है और बाद के निर्णयों में, जिनमें **करप्पुदयार बनाम राज्य, उप पुलिस अधीक्षक, लालगुडी, त्रिची और अन्य, 2025 आईएनसी 132** के मामले में इसे दोहराया है, जिसमें यह धारित किया गया है कि "...इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 'सार्वजनिक दृष्टि के अंतर्गत' स्थान होने के लिए, वह स्थान खुला होना चाहिए जहाँ आम जनता आरोपी द्वारा पीड़ित से कही गई बातों को देख या सुन सके। यदि कथित अपराध ऐसे स्थान पर होता है जहाँ आम जनता उपस्थित नहीं है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह सार्वजनिक दृष्टि के अंतर्गत स्थान पर हुआ है।"

12. इस प्रकार, कथित घटना के समय आम जनता की उपस्थिति एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

13. रिकॉर्ड में दर्ज किए गए पृष्ठभूमि तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि शिकायत दर्ज करने से पहले, संबंधित भूमि के स्वामित्व और हस्तांतरण को लेकर पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हो चुके थे और इस संबंध में सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की कार्यवाही लंबित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत उक्त विवाद की पृष्ठभूमि में दर्ज की गई है और संबंधित परिस्थितियाँ अपीलकर्ताओं के इस तर्क का समर्थन करती हैं कि आपराधिक कार्यवाही संपत्ति विवाद के संबंध में उन पर दबाव डालने के कुटिल इरादे से शुरू की गई है

14. सर्वोच्च न्यायालय ने **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 ए.आई.आर.605** के मामले में यह धारित किया है कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से या प्रतिशोध की भावना से निजी विवादों से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही में उचित मामलों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। विवाद की प्रकृति, पक्षों के बीच चल रहे मुकदमे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के तहत एकत्र किए गए साक्ष्यों में कमियों, लाइसेंसी आग्नेयास्त्र के उपयोग के संबंध में आरोप की संदिग्ध प्रकृति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय का यह मत है कि कार्यवाही जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. तदनुसार, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

16. विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), इलाहाबाद द्वारा शिकायत मामला संख्या 101/2020 (कंप्यूटरीकृत संख्या 41/2020), सत्य नारायण बनाम मामले में दिनांक 07.01.2023 को पारित समन आदेश. मैं अनूप कुमार पांडे और अन्य के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 427 भा.द.सं. और धारा 3(1)(x) के तहत थाना कौंधियारा, जिला प्रयागराज में दर्ज मामला एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

17.. परिणामस्वरूप, शिकायत मामला संख्या 101/2020 (कंप्यूटरीकृत संख्या 41/2020), सत्य नारायण बनाम अनूप कुमार पांडे और अन्य, धारा 323, 504, 506, 427 भा.द.सं. और धारा 3(1)(x) के तहत थाना कौंधियारा, जिला प्रयागराज में दर्ज मामले की संपूर्ण कार्यवाही भी रद्द की जाती है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

3 जून, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।